

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या: UPFS/2024/1.25555/AMN/AMBEDKAR NAGAR/897/CFO

दिनांक: 22-07-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **A S P VIDYAPEETH** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **Fakharpur, ASHRAF MAJGANVA, Jalalpur, Jalalpur** तहसील - **Jalalpur**, प्लाट एरिया **2407.00 sq.mt**, कुल कवर्ड एरिया **1105.202** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें

| ब्लॉक/टावर | प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या | बेसमेन्ट की संख्या | ऊँचाई |
|------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| SCHOOL | 1 | 0 | 3.87 mt. |

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **A S P VIDYAPEETH** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **28-07-2024** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **ARUN KUMAR SINGH** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **28-07-2024** से **28-07-2027** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स **A S P VIDYAPEETH** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **A S P VIDYAPEETH** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : 1. सेट बैक के सम्बन्ध में सत्ता प्राधिकारी का निर्णय मान्य होगा।

2. भवन की विद्युत सुरक्षा हेतु विद्युत सुरक्षा विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

3. भवन में स्थापित समस्त अग्निशमन व्यवस्था को सदैव कार्यशील रखने की पूर्ण जिम्मेदारी भवन स्वामी / अधिभोगी की होगी।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(Jai Prakash Singh)

[143DC814117369EFEA383E78866D88B7429E43B0]

28-07-2024

निर्गत किये जाने का दिनांक : 28-07-2024
स्थान : AMBEDKAR NAGAR

FIRE SAFETY CERTIFICATE

No. UPFS/2024/125555/AMN/897/CFO

Dated: 28/07/24

Certified that the A.S.P. Vidyapeeth (name of the building or premises) at Fakharpur (address) comprised of 0 basement(s) and G + 1st (upper floors) owned/ occupied by A.S.P. Vidyapeeth (name of the institution) have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State/ UT Fire Service Rules, and verified by the officers concerned of Fire Service on 28/07/24 (date of inspection) in the presence of A.K. Singh (name and addresses of the Manager/ Secretary or his representative) and that the building/ premises is fit for occupancy upto classes XII (X/ XII) With effect from 28/07/24 for a period of 03 year in accordance with rule and subject to compliance of specific conditions as appended:-

1. N.A
2. u
3. u
4. u

Issued on 28/07/24 (date of issue) at CEO - A. NAGAR (Place) by

*Strike out whichever is not applicable.

Attached -

* Dept. NOC issued on dated

To

The Manager
(Name & Address of the Institution) A.S.P. Vidyapeeth

Signature with Seal: [Signature]

Name: 28/07/24

Designation: F.S.O.

Name & Address of Department/ Office: Ambedkar Nagar.

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)
(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)

ENDORSEMENT

The No Objection Certificate issued by Fire Service stand cancelled an annulled due to

(reasons to be recorded).

(Name and designation of the authorized signatory)

* The filled up certificate should be either in Hindi or English. If it is issued in vernacular language, translated notarized version in English be uploaded along with the original vernacular certificate as a single pdf.